दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप में	विशेष विवरण
??/11/16	वकील वादी उप॰ वकील [illegible] हाजिर हुये, पे॰ [illegible] पेश किया गया। पत्रावली वास्ते [illegible] [illegible] दि॰ 20/11/16 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू
20/11/16	वकील [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] बहस [illegible] दि॰ 3/1/17 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू
3/1/17	वकील वादी उप॰। पत्रावली वास्ते बहस [illegible] दि॰ 9/1/17 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू
9/1/17	वकील वादी उप॰। वकील वादी को [illegible] बहस को सुना गया। वकील वादी [illegible] के मुताबिक [illegible] वाद का [illegible] को [illegible] का निवेदन किया। वादी वकील की [illegible] बहस को सुना गया व पत्रावली व [illegible] का अवलोकन किया गया। [illegible] में वादी का [illegible] अंतिम [illegible] वाद मुताबिक [illegible] डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

6

अत: वादी का वाद मुताबिक नक्शा जरेदावा अंकित रंग के डिक्री किया जाता है। विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री पृथक से लिखा जावे। आदेश की प्रति डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड की जावे।

रवि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी–श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस

राजस्व वाद–पत्र संख्या 249/08 पुनः दर्ज 306/2013

रज्जु दिनांक 08/10/2008 पुनः दर्ज दिनांक 09/09/2013

निर्णय दिनांक : 09/1/2017

मैसर्स ग्रास फील्ड फायर एस्टेट प्रा. लि. रजि. पता के–107, कल्ब लेन, किसान नगर, श्याम नगर, जयपुर जरिये मैनेजर श्री अमरनाथ सिंह।

—— वादी

बनाम

1. रूपनारायण पुत्र श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम नासनोता, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. लक्ष्मण पुत्र श्री बालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम नासनोता, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
3. श्रवण पुत्र श्री बालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम नासनोता, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा

(अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – **श्री अरविन्द शर्मा**
विद्वान अधिवक्ता वादी
प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 के विरूद्ध
एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।
प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 9/1/17

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16/09/2009 को इस आशय का प्राथमिक डिक्री किया गया कि "अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 619 रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 620 रकबा 2.57 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बरा 621 रकबा 1.27 हैक्टेयर वाके ग्राम नासनोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर की आराजीयात का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स पर तकासमा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया गया तथा

Scanned by CamScanner

तहसीलदार तहसील मौजमाबाद को नक्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया था।"

तहसीलदार मौजमाबाद के पत्र क्रमांक/एल.आर./2016/6276 दिनांक 12/11/2016 के द्वारा नक्शे कुरेजात प्राप्त होकर शामिल मिसल हुए।

वकील वादी ने उपस्थित होकर नक्शे कुरेजात का अवलोकन कर सही होना जाहिर किया।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मुताबिक तहसीलदार मौजमाबाद के नक्शे कुरेजात के अनुसार वाद अन्तिम रूप से डिक्री कर दिया जावे, जिसमें वकील वादी को कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त नक्शे कुरेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। नक्शे कुरेजात मुताबिक आदेश के अनुसार तैयार होकर प्राप्त हुये हैं। वकील वादी ने भी मुताबिक तहसीलदार मौजमाबाद के नक्शे कुरेजात अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन से मुताबिक नक्शे कुरेजात अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नासनोता, तहसील मौजमाबाद का पक्षकारान के मध्य मुताबिक नक्शे कुरेजात के अनुसार बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा निम्न प्रकार किया जाता है :–

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा है.में
1. मैसर्स ग्रास फील्ड फायर एस्टेट प्रा. लि. रजि. कार्यालय के–107 कल्ब लेन, किसान नगर, श्याम नगर, जयपुर 302019 निदेशक सुनील बंसल खातेदार	619/1	0.46
	620/1	0.56
	621	0.58
	कुल किता 03	कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर
2. रूपनारायण पुत्र मांगीलाल हि. 1/2 लक्ष्मण श्रवण पि. बालू हि. 1/2 जाति गुंर्जर सा .देह खातेदार राहिन– रूपनारायण पुत्र मांगीलाल हि. 1/2 श्रवण पुत्र बालू हि. 1/4 एस.बी.आई शाखा बगरू मुर्तहीन।	619	0.52
	620	1.16
	620/2	0.85
	621/1	0.69
	कुल किता 4	कुल रकबा 3.22 हैक्टेयर

पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/1/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)
दूदू

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31: ^^2

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

अंतिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू (जयपुर)

व इजलास श्री त्रिलोक चन्द मीणा, आर.ए.एस.

मैसर्स ग्रीन फील्ड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. रजि. पता के — बनाम 1. रूपनारायण पुत्र श्री मांगीलाल 2. लक्ष्मण 3. श्रवण पुत्रान श्री बाबू, जाति गुर्जर नि. नारायणा दावा बाबत तकसीम

मुकद्दमा नं. 249/08 पु. नं. 306/2013 4. ... तहसीलदार तह० मौजमाबाद

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री अरविन्द शर्मा, वकील वादी प्रतिवादीगण

व हाजिरी ....

मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद मुताबिक नक्शा करवाय अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नारायणा, तह० मौजमाबाद का पक्षकारान के हक मुताबिक नक्शा कायम कर के बंटवारा किया जाकर ... फैसला किया जाता है :- *

निज .... मुवक्किल .... बाबत

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद वगैरह .... फीसदी ... आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09/2/2017 माह .... को

जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
... वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner